राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4011/2024

रंजीता नामा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, झालावाड़।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहर कॉलोनी, झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.12.2024
आदेश की दिनांक : 20.12.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमार सैनी, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II (हिंदी) के पद पर दिनांक 7.5.2005 को हुई थी तथा अपीलार्थी राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मनोहरथाना जिला झालावाड़ में पदस्थापित थी तथा उसके बाद उसका स्थानांतरण दिनांक 26.9.2010 के आदेश द्वारा राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जवाहर कॉलोनी झालावाड़ में हुआ तथा स्थानांतरण आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 29.9.2010 को उक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। तब से अपीलार्थी निरंतर उक्त विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रही है। उक्त विद्यालय में सेवा के दौरान प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 23.8.2022 के आदेश के तहत उक्त विद्यालय को सत्र 2022–23 से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड कर दिया है तथा अपीलार्थी को भी धारा 6डी के तहत कार्यवाही शुरू होने तक उक्त विद्यालय में समायोजित कर दिया गया है। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी उक्त विद्यालय में निरंतर सेवा दे रहा है, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग

ने 6डी कार्यवाही नहीं की है और 2 वर्ष से अधिक समय के बाद, प्रत्यर्थी विभाग ने अधिशेष कर्मचारियों की सूची जारी की है और अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किया है, जबकि वह स्वीकृत पद पर काम कर रही है और अपीलार्थी के स्थान पर किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है। (अनुलग्नक–3) विभाग ने दिनांक 14.11.2024 को एक आदेश/नीति जारी की थी, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि अधिशेष शिक्षकों के आमेलन के प्रयोजन के लिए, i) संबंधित शिक्षक को उसी विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाए, ii) संबंधित शिक्षक को उसी राजस्व गांव में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाए, iii) यदि उसी राजस्व गांव में पद रिक्त नहीं है, तो अधिशेष शिक्षक को उसी ग्राम पंचायत में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाए, iv) यदि उसी ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं है, तो अधिशेष शिक्षक को उसी ब्लॉक में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाए तथा v) यदि उसी ब्लॉक में पद रिक्त नहीं है, तो उसे दूसरे ब्लॉक में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाए, अधिमानतः दूसरे ब्लॉक में निकटवर्ती स्थान पर। (अनुलग्नक–4) दिशा–निर्देशों के अनुसार, उपरोक्त के अनुसरण में प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 6.12.2024 (अनुलग्नक 1) के आदेश के तहत अपीलार्थी को उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरगांव, झालरापाटन में स्थानांतरित/पदस्थापित किया, क्योंकि उसी राजस्व गांव में शिक्षक लेवल–I के कई पद रिक्त हैं और प्रतिबंध अवधि के दौरान ही आदेश पारित किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे आलौच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहर कॉलोनी (झालावाड़) में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II (हिंदी) के पद पर नियमित वेतन और अन्य परिणामी लाभ के साथ निरंतर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार

व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य